2024/549

फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत– .... उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम– .... डीडवाना ....

प्रार्थी:– पींकी पुत्री स्व0 घीसुराम जाति माली निवासी डीडवाना डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन राज0 वगै0।

बनाम्

अप्रार्थीगण :– देवाराम पुत्र पूर्णाराम उर्फ पूर्णमल जाति माली निवासी परमानन्द कॉलोनी डीडवाना तहसील डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन राज0 वगै0।

किस्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या...167/2024 सन्–2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
07.10.2024	प्रार्थी पींकी पुत्री स्व0 घीसुराम जाति माली निवासी डीडवाना डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन राज0 वगै0 ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण देवाराम पुत्र पूर्णाराम उर्फ पूर्णमल जाति माली निवासी परमानन्द कॉलोनी डीडवाना तहसील डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन राज0 वगै0 के पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर सुना गया तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि, वे आगामी पेशी तक सरहद अमरपुरा के पुराने खसरा सं0 155, 166, 167 के वर्तमान खसरा सं0 219, 230, 231 की भूमि में राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखेगें एवं बेचाण नही करेगें। अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। **नोट :–** 1. उक्त स्थगनं आदेश धारा 251A, 251, पर प्रभावी नही रहेगा। 2. प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 के आदेश 39 नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करें। 3. अप्रार्थीगण के समन जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से भिजवाये जावें। अप्रार्थीगण को तलव होकर पत्रावली दिनाँक 14.11.2024 को पेश हो। Vikas उपखण्ड अधिकारी डीडवाना 14/11/24 पत्रावली पेश हुई । श्री मान् P.O. सा. अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे है। मिसल ... 13/12/24 ...	

13/12/24 पत्रावली पेश हुई।
बार संघ डीडवाना ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा है।
पत्रावली दिनांक ... 24 ... को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:19:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

24/1/25
पत्रावली पेश हुई । श्री मान् P.O. सा
अवकाश / अन्य कार्य / दौरे पर पधारे है।
मिसल दिनांक 27/2/25 को पेश हो।

27/2/25
पत्रावली पेश हुई । श्री मान् P.O. सा
अवकाश / अन्य कार्य / दौरे पर पधारे है।
मिसल दिनांक 9/5/25 को पेश हो।

17/3/2025

पत्रावली मंगवाई जाकर पेश हुई। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि पत्रावली से सम्बन्धित मूल प्रकरण का निस्तारण दिनांक 17/02/2025 को हो चुका है अतः इस प्रार्थना पत्र का औचित्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त मूल दावे का निस्तारण होने पर प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता। पत्रावली बाद तकमील शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:19:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner